फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री दीपक धोबी पिता श्री मगनीराम धोबी निवासी 80, पशु चिकित्सालय के पास, आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 116/2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 03.03.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ से जरिये पत्र क्रमांक : सू0अ,05/2025/55 दिनांक 21.01.2025 से प्राप्त रिपोर्ट में यह वर्णित किया कि अपीलार्थी द्वारा को नियमानुसार वांछित सूचना डाक द्वारा भिजवा दी गयी हैं। जिसके अनुसार भूमि रूपान्तरण की ऑर्डर संख्या 1717—19 दिनांक 27.08.2008, 1735—37 दिनांक 27.08.2008, 1726—28 दिनांक 27.08.2008, 1723—25 दिनांक 27.08.2008, 1729—31 दिनांक 27.08.2008 की सत्यापित प्रति चाही गयी है जिसके संबंध में आपको लिखा जाता है कि कार्यालय हाजा का रिकार्ड का अवलोकन करने से उक्त भूमि रूपान्तरण की पत्रावलीयॉ कार्यालय में उपलब्ध होना नही पाया गया हैं। अतः उक्त प्रकरण की पत्रावलीयों के अभाव में उक्त प्रकरणों की सत्यापित आर्डर की प्रति आपको उपलब्ध कराया जाना संभव नही हैं। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा भूमि रूपान्तरण की जो सत्यापित प्रतिया चाही गयी है वह कार्यालय हाजा के में उपलब्ध होना नही पाया गया हैं। अतः उक्त प्रकरण की पत्रावलीयों के अभाव में उक्त प्रकरणों की सत्यापित आर्डर की प्रति उपलब्ध नही करायी जा सकी। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के लिए नियमानुसार कमेटी का गठन कर वांछित सूचना तक पहूँच बनाकर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अतः लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ को निर्देशित किये जाने से उक्त अपील निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)